9 अंग्रेज़ों के शासन में जंगल और आदिवासी

अंग्रेज़ों के समय में जंगल के उपयोग में बदलाव

अंग्रेज़ों से पहले जंगल का उपयोग

जंगल मे रहने वाले आदिवासी और जंगल के पास रहने वाले गांव के लोग जंगल का उपयोग करते आए थे। एक तरह से वे ही जंगल के मालिक थे। वे वहां शिकार करते थे, कंद, फल-फूल, जड़ी-बूटियां बटोरते थे, अपने ढोर चराते थे। कहीं कहीं लोग जंगल जलाकर खेती भी करते थे। वे अपने घर और दूसरी चीज़े बनाने के लिए जंगल से लकड़ी काट लाते थे। मगर यह सब अपने घर के उपयोग के लिए करते थे - व्यापार करने या बेचकर मुनाफा कमाने के लिए नही। वे जंगल की थोड़ी बहुत चीज़ें बेचते भी थे तो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें (नमक, लोहा) खरीदने के लिए ही बेचते थे।

जो किसान और आदिवासी जंगल का उपयोग करते थे, वे उसकी रक्षा भी करते थे। पेड़ काटते भी तो पुराने ही पेड़ काटते थे और नए पेड़ो को बढ़ने देते थे। एक साथ सारा जंगल अंधाधुंध नही काटते, थोड़े थोड़े हिस्से ही काटते ताकि जंगल नष्ट न हो।

जंगल मे रहने वाले लोग समय समय पर राजाओं व बादशाहों को मूल्यवान भेंट लाकर देते थे (हाथी दांत, खाल, शहद आदि)। जो लोग जंगल में खेती करते थे वे कभी कभी लगान भी देते थे। पर जंगल के उपयोग को लेकर राजा या बादशाह कोई ख़ास नियम कानून नही बनाते थे और इस तरह जंगल के लोग स्वतंत्र रूप से उनका उपयोग और देखभाल करते आए थे।

जंगल से भोजन बटोरते हुए

अंग्रेज़ों के समय में जंगल का उपयोग

अंग्रेज़ो के समय मे जंगल की लकड़ी का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। उस समय कलकत्ता, बंबई जैसे बड़े बड़े शहर बस रहे थे, मीलो लंबी रेल लाईने बिछ रहीं थी, बड़े बड़े जहाज़ बन रहे थे, और खदानें खुल रही थी। इन सबके लिए लकड़ी ज़रूरी थी।

रेल लाईन के स्लीपर

सन् 1870 में लगभग आठ हज़ार किलोमीटर लंबी रेल लाईने बिछाई

गई थी। सन् 1910 तक पचास हज़ार किलोमीटर से भी अधिक रेल लाईनें बिछ चुकी थी। रेल पटरियां बिछाने के लिए हर साल लगभग एक करोड़ लकड़ी के स्लीपर लगते थे। स्लीपर की लकड़ी सप्लाई करने के लिए हिमालय और तराई के जंगल के जंगल काटे गये।

इसके अलावा इमारतो, खदानों और जहाज़ो के लिए भारी मात्रा में जंगल काटकर बेचा जाने लगा। यह काम लकड़ी के व्यापारी और जंगल के ठेकेदार किया करते थे।

अंग्रेज़ सरकार को भी लकड़ी के इस व्यापार से बहुत फायदा होता था। सरकार जंगलो को काटने का ठेका नीलाम करती थी। ठेकेदार से मिले पैसो से सरकार को **बहुत आमदनी होने लगी थी।**

> ***पहले की तुलना में अंग्रेज़ शासन में जंगल का उपयोग क्यों बदला?***

जंगलों को खतरा और नए जंगल लगाने की ज़रूरत

जब ठेकेदार बेतहाशा जंगल काटने लगे तो जंगल तेज़ी से खत्म होने लगे। अब यह खतरा पैदा हो

रेल लाईनों के लिए जंगल की कटाई खूब हुई

गया कि सारे जंगल कटकर खत्म हो जायेंगे। तब जाकर कटे हुए जंगलों की जगह नए पौधे उगाने की ज़रूरत महसूस हुई। आखिर सारे जंगल कट जायेंगे

वन विभाग की पौध और गांव की बकरी

तो रेल, जहाज़ और मकानों के लिए लकड़ी कहा से मिलेगी? आम लोगों के उपयोग के पेड़ (आम, महुआ, नीम आदि) लगाने में सरकार की रुचि नही थी। सरकार **चाहती थी** कि कटे हुए जंगलो की जगह ऐसे पेड़ लगें जिनकी मांग बाज़ार मे थी (जैसे सागोन, चीड़)।

वन विभाग बना

तेज़ी से खत्म होते हुए जंगलो की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने 1864 मे वन विभाग बनाया। वन विभाग का काम था वनों की कटाई पर निगरानी रखना और नए जंगल लगाना।

वन विभाग द्वारा नए वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए और पुराने जंगल को खत्म होने से बचाने के लिए ढेरो नियम बनाये गए। इन नियमो का यही नतीजा रहा कि लोगों का जंगलो पर जो अधिकार था वह छिनने लगा। वे अब स्वतंत्र रूप से लकड़ी काटने, ढोर चराने, फल फूल इकट्ठा करने, शिकार करने जंगल मे नही जा सकते थे। इसके कुछ उदाहरण देखो।

अफसर : "हम कटे जंगलों मे नए पौधे लगाते हैं तो गांव वालो के ढोर चर जाते हैं। इन्हें जंगल में आने से रोकना होगा।"

"गांव के लोग गर्मी में जंगल के घास फूस जलाते हैं ताकि बरसात के बाद चराने के लिए घास उग आये। इस आग से बड़े पेड़ तो नही जलते हैं पर वन विभाग द्वारा लगाए गए छोटे पौधे झुलस जाते हैं। इस तरह घास फूस जलाने पर रोक लगानी चाहिए।"

"ये जो सागोन जैसे कीमती पेड़ हैं, उन्हें ये गांव वाले डालियां और टहनियां तोड़कर खराब कर देते हैं। इसलिए हमे उनके अच्छे दाम नही मिलते हैं। इस तरह टहनियों को तोड़ने से गांव वालों को रोकना होगा।"

इन बातो की वजह से नया वन कानून 1878 में बना। इस कानून के तहत जंगलो को दो भागों मे बांटा गया।

1. <u>सरकारी (रिजर्व) जंगल</u> - जिसमें कोई भी घुस तक नही सकता था।
2. <u>सुरक्षित जंगल</u> - जहां लोग अपने उपयोग के लिए सरगट्ठा लकड़ी और छोटी वनोपज ला सकते थे और ढोर चरा सकते थे। लेकिन यहां भी बहुत प्रतिबंध थे। जैसे "पेड़ नही काट सकते", "घास फूस नही जला सकते", "दो दिन से ज़्यादा ढोरों को नही चरा सकते वरना जुर्माना होगा"।

इन सब बातो का लोगो के जीवन पर क्या असर पड़ा - चलो, एक कहानी पढ़ कर जानें। यह कहानी है सुकरू जानी की जो उड़ीसा की पहाड़ियो मे बसे देगचा वनग्राम का रहने वाला था।

वन विभाग को नए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी क्यों लगा?
वन विभाग को नए पौधों की रक्षा के लिए गांव वालो पर रोक क्यों लगानी पड़ी?

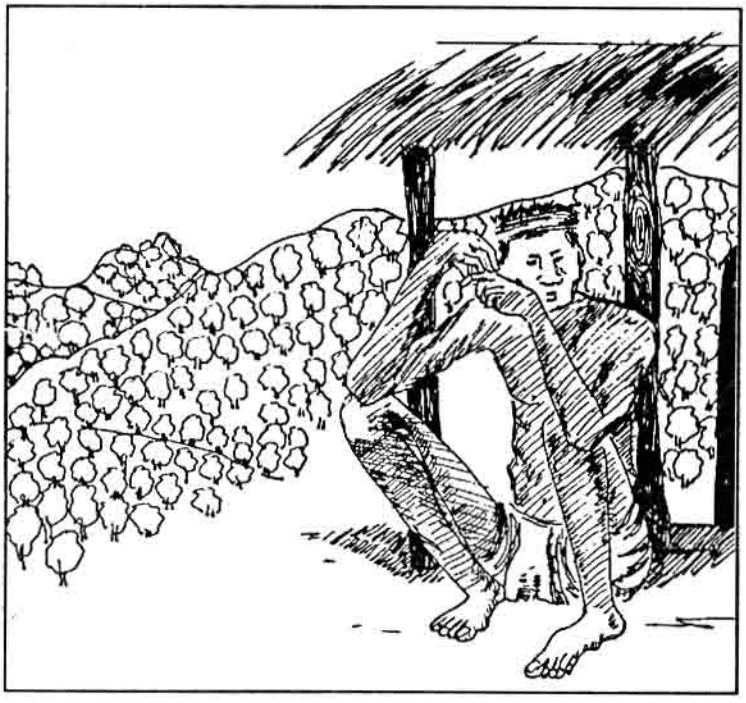

इस साल खेती बढ़ानी है

सुकरू जानी की कहानी

अंग्रेज़ों के शासन से पहले

सांझ ढल रही है। सुकरू जानी अपनी झोपड़ी के अगवाड़े बैठा सामने की पहाड़ी के जंगल में से धूप को खिसकते हुए देख रहा है। पहाड़ी की यही सामने वाली ढलान उसे बहुत मोह रही है। हल्की ढाल है, मिट्टी भी गहरी है।

सुकरू सोच रहा है कि इस साल उसे खेती बढ़ा लेनी चाहिए। दोनो लड़के बड़े हो चुके हैं। उनकी शादी करनी है। लड़की वालो को चुकाने के लिए रकम चाहिए। नही तो शादी कैसे होगी।

सुकरू की आंखे अपने बेटो की ओर उठ जाती हैं। पहला बेटा माण्डिया कुल्हाड़ी की धार तेज़ करने मे मग्न है। टीकरा अपनी डुगडुगी के तारो से बहुत देर से एक धुन निकालने की कोशिश कर रहा है।

बेटो को देख कर सुकरू की आंखो में संतोष और गर्व भर आता है। पान खाते हुए वह सोचता है, "अब टीकरा भी बड़ा हो गया है। इस वर्ष से हम थोड़ा ज़्यादा खेत तैयार कर लेंगे। कल मैं गांव के प्रधान से यह सामने वाली पहाड़ी की बात ज़रूर करूंगा।"

खेतों का बंटवारा

अगले दिन देगचा गांव का प्रधान आने वाले साल के लिए खेत बांटने वाला था। इसलिए उसने सारे गांव वालो को डुमका पहाड़ी पर बुलाया है।

अगले दिन सुबह ही सब लोग डुमका पहाड़ी पर पहुंच गये। प्रधान ने सबसे पूछ-पूछ कर खेती के लिए ज़मीन बांटी।

आसपास की सात-आठ पहाड़ियां और बीच के पठार की ज़मीन देगचा गांव की है। कई सदियो से इन पहाड़ो और इस पठार पर देगचा गांव के लोग जंगल जलाकर खेती करते आये हैं। किसी साल एक पहाड़ी पर खेती की तो किसी साल दूसरी पहाड़ी पर। हर साल किस ज़मीन पर खेती करनी है यह गांव का प्रधान गांव के सयाने लोगो से विचार करके तय करता है। अब डुमका पहाड़ी पर खेती करने की बारी है।

सुकरू डुमका पहाड़ी पर दो बीघा ज़मीन मांगता है और वो उसे मिल जाती है। फिर वह प्रधान से उसके घर के सामने वाली पहाड़ी की हल्की ढाल पर आधा बीघा ज़मीन तोड़ने की बात करता है। लेकिन प्रधान को सुकरू की बात ठीक नही लगती। वह उसे मना करते हुये कहता है, "नही, नही सुकरू। उस पहाड़ी को हम हाथ नही लगायेगे। आने वाले सालों में तोड़ने के लिए नई ज़मीन बची रहनी चाहिए। तुम डुमका पहाड़ी पर ही एक बीघा और ले लो।"

सुकरू मन मसोसकर रह जाता है। टीकरा पास खड़ा है। तुनक के बोला, "प्रधान ने क्यों मना किया?" सुकरू ने समझाया, "नही, प्रधान ठीक कह रहा है। चल अपन यही तीन बीघे ज़मीन तोड़कर बोयेंगे। देखें तू कितनी मेहनत कर सकता है - मेरी जितनी या माण्डिया जितनी या हमसे भी ज़्यादा।"

डुमका पहाड़ी पर ज़मीन तोड़ना

सर्दी के दिन अब सचमुच चले गये हैं और हवा में लपट आने लगी है। डुमका पहाड़ी ऊपर से नीचे तक कुल्हाड़ियो की ठक-ठक से गूंज रही है। देगचा गांव के लोग पेड़, झाड़ियां, घास फूस काटने में लगे हैं। इस पहाड़ी पर उन्होंने इक्कीस-बाईस साल पहले खेत बनाये थे। यहां एक दो साल फसल उगाकर दूसरी जगह चले गये थे। तब से अब तक डुमका पहाड़ी पर काफी जंगल उग आया है। अब उसे फिर से काट रहे हैं।

सुकरू, माण्डिया और

खेत तैयार करने के लिए जंगल काटना

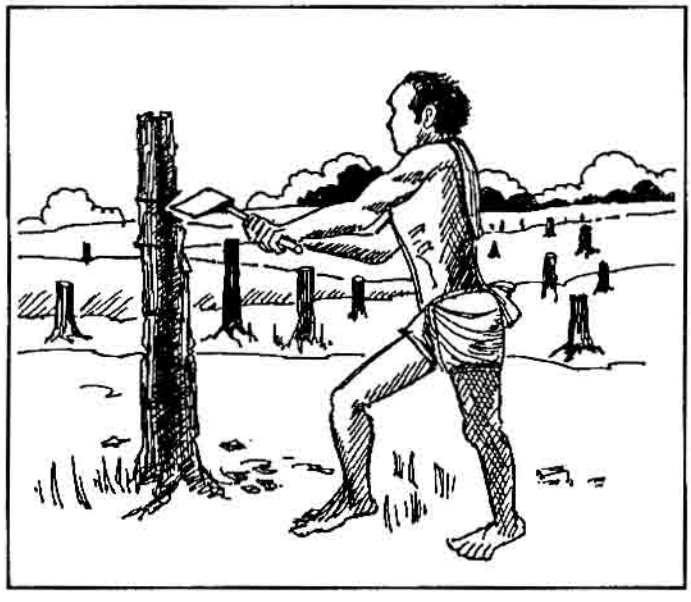

टीकरा भी लगे हुये हैं। टीकरा दो घंटो से लगातार कुल्हाड़ी चला रहा है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा है। "क्यो, थक गया?" माण्डिया ने उसे चिढ़ाया।

"नही तो।" टीकरा बोला। "क्यो माण्डिया, वो पहाड़ी का खेत अच्छा था न जहां नीचे ही तोरु नदी बहती है। नदी मे सपड़ने मे कितना मज़ा आता था!"

माण्डिया बोला, "तू भी क्या सपड़ता था। मैं और बाबा कुल्हाड़ी चलाते थे और तू तोरु नदी मे मछली पकड़ता था!"

टीकरा ने कहा "तो क्या। मछली खाने को मिलती तो थी। अब वहां कब खेत बनाएंगे माण्डिया? क्या अगले साल?"

भाईयो की बात सुन सुकरू बीच मे बोल पड़ा, "नही, अगले साल नही। अभी तीन साल पहले ही तो वहां खेती की है। अभी तो वहां थोड़ी झाड़ियां ही उगी हैं। पेड़ ज़रा ज़रा से हुये हैं। अगर अब वहां काटकर बोयेंगे तो बहुत ही हल्की फसल होगी। वहां खेती करने में तो अब कई साल लगेंगे। तू उतावला मत हो रे टीकरा।

बाप बेटे तीनो डेढ़ महीने तक लगे रहे। जब दूसरों के खेतो मे पेड़ कटाई का काम पूरा हो गया तो उन्होंने कुछ दिन सुकरू के खेत मे मदद कर दी। फ़ेर भी चलीस-पचास दिन मे कही जाकर तीन बीघे ज़मीन पर पेड़ काटे जा सके।

अब कई महीने खेतो मे कुछ काम नही रहेगा। डुमका पहाड़ी पर कटे हुये पेड़ पड़े-पड़े सूखेंगे। चारो तरफ के जंगलो के बीच खेती के लिए साफ किया गया यह छोटा सा हिस्सा अलग ही दिखाई पड़ता है। अब बरसात आने के कुछ दिन पहले ही सूखी लकड़ी को जलाया जायेगा और राख पर बीज छिड़के जाएंगे। वे ज़मीन को जोतते या बखरते नही हैं। राख मे छिड़के बीज बरसात मे उगेंगे और बरसात के बाद फसलो की कटाई शुरू होगी।

जंगल में फल बटोरना और शिकार

माण्डिया और टीकरा खुश थे। पेड़ काटने का मेहनती काम अब खत्म हो गया है। वे अब चारो ओर के जंगलो मे जाया करेंगे और खरगोश, हिरण आदि मारकर लाया करेंगे। सभी को शिकार करना बहुत पसन्द है। गांव के सब पुरुष छोटी-छोटी टोलियो मे शिकार करने जायेंगे।

औरते भी जंगल मे कंद, फल, पत्ते आदि खाने की चीज़ें इक्ट्ठा करने जायेंगी। उनके साथ सुकरू की पत्नी सोबारी और दो बेटियां - जिली और बिली - जायेंगी।

जब तक नई फसल नही आ जाती तब तक इसी तरह जंगल की चीज़ो से गुज़ारा करना होता है। पिछली फसल गर्मी के महीनों तक खत्म होने को होती है। तब जंगल के शिकार और फलो के सिवा दूसरा कोई चारा भी नही रहता।

हाट में जाना है

जिली और बिली भी खुश हैं। जंगल से इमली, चिरौंजी, महुआ और गुल्ली बीनकर वे पास के कस्बे मे हाट मे बेचने जायेंगी। हाट से थोड़ा नमक और तेल तो हमेशा लाना होता है। पर इस बार उन्होने सोच के रखा है कि वे अपने लिए एक एक लाल मनको की माला ज़रूर लेकर आयेंगी। पर इतनी चीज़े खरीदने के लिए पैसे भी तो हो। "चल बिली," जिली

कहती है, "इस बार जंगल से राम-बुहारी भी काट लायेंगे। दो-चार झाड़ू बनाकर हाट में बेचेंगे।"

हाट में साहूकार

जिली, बिली, माण्डिया और टीकरा - चारों बच्चे हाट जाने को तैयार हो रहे हैं। उधर मां सोबारी सुकरू से बात कर रही है। "घर में कोदो तो पहले ही खत्म हो गया था। अब मक्का भी खत्म हो रहा है। जंगल से चाहे जो ले आओ, पर अनाज तो चाहिये न? अब की बार साहूकार से अनाज लेना ही होगा।"

सोबारी सामान को टोकरी में रखती हुई कहती है, "तुम लोग पहले साहूकार की दुकान पर जाना। ये सारी चिरौंजी, इमली, गुल्ली और राम-बुहारी उसे देकर पहले तीन सेर कोदो ले लेना। फिर नमक और तेल लेना। फिर जो पैसे बचें उस से ही माला खरीदना।"

साहूकार

साहूकार रामचन्द बिसोई कस्बे में रहता है। सख्त ज़रूरत पड़ने पर गांव वाले उसी के पास जाते हैं। उसी से अनाज और पैसे उधार लेते हैं। उसी को अपनी अधिकांश चीज़ें बेचते हैं, चाहे वह कम दाम दे। हर साल फसल कटने के समय साहूकार अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव में पहुंच जाता है, उधारी वसूल करने। साहूकार से उधार लेते रहने और चुकाते रहने का यह सिलसिला चलता ही रहता है।

वैसे साहूकार जब शुरू में आया था तब सिर्फ जागीरदार का लगान इकट्ठा करता था। मगर धीरे-धीरे सूद पर उधार देना, चीज़ें खरीदना-बेचना, यह सब भी शुरू कर दिया।

साहूकार ने जिली और बिली से इमली, गुल्ली और चिरौंजी तोल कर ली। इसके बदले में उसने कोदो, तेल और नमक दिया। मगर इसके बाद जिली और बिली के पास पैसे नहीं बचे कि वे माला खरीद पायें। माण्डिया और टीकरा बाज़ार में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। बाज़ार में कहीं दूर से एक फकीर आया था। वह झूम-झूमकर नाच रहा था और कह रहा था, "अब सब कुछ बदलेगा। अब सब कुछ बदलेगा। नवाबों का शासन खत्म हो गया। अंग्रेज़ बहादुर का राज हो गया। अब सब कुछ बदल जायेगा।" जिली और बिली उस फकीर को देखते रह गये। ऐसा क्या बदलाव आयेगा?

इस कहानी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दो।

1. *सुकरू जानी खेती क्यों बढ़ाना चाहता था?*
2. *देगचा गांव की ज़मीन कहां कहां थी?*
3. *गांव के प्रधान ने सुकरू को घर के सामने वाली पहाड़ी पर खेत क्यों नहीं बनाने दिया?*
4. *गांव के लोग कहां ज़मीन तोड़ेंगे और कौन परिवार किस जगह खेत बनाएगा - यह कैसे तय होता था?*
5. *देगचा गांव के लोग जो खेती करते थे और तुम्हारे आसपास के गांवों में जो खेती होती है, उसमें क्या अंतर है?*
6. *तोरू नदी के पास वाली पहाड़ी पर कई वर्षों के बाद ही खेती की जायेगी - इसका सुकरू ने क्या कारण बताया?*
7. *गर्मी और बरसात के दिनों में खाने की कमी क्यों होती थी? तब देगचा गांव के लोग क्या-क्या करते थे?*
8. *साहूकार गांव वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? वह लोगों से उधार कैसे वसूल करता था?*

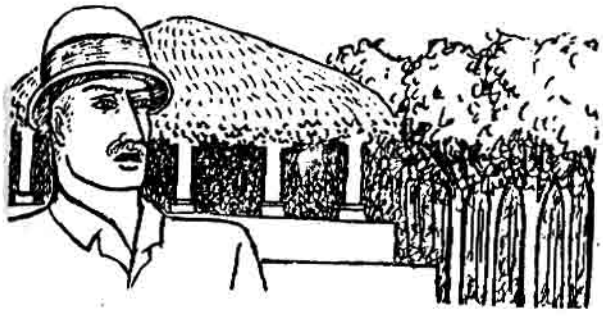

अंग्रेज़ सरकार का ज़माना

देगचा गांव के लोगो को अक्सर हाट बाज़ार मे अंग्रज़ो के किस्से कहानी सुनने को मिलते रहे। सब से ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रेलगाड़ी। लोगों ने एक गोरे साहब को रेल की पटरियां बिछाने का काम करवाते देखा। फिर जब एक दिन धुंआ छोड़ती छुक छुक करती रेलगाड़ी पटरी पर से गुज़री तो मानो महीनो तक लोगो ने और कोई बात ही नहीं करी। शहर जाने की उत्सुकता अब सबसे ज़्यादा इसीलिए बनी रहती कि शायद रेलगाड़ी देखने को मिल जाए।

इस बीच सुकरू जानी और सोंबारी दोनो गुज़र गए। जिली और बिली की शादियां हो गईं। अब माण्डिया और टीकरा अपने अपने परिवारो के साथ रहते थे। जब भी वे बाज़ार से लौटते तो आपस मे बाते करते कि आसपास कितना कुछ बदल रहा है।

"तू ने देखा टीकरा, शहर मे कितने नए नए लोग आ कर रहने लगे हैं?" माण्डिया कहता। "हां देखा! पर देखने लायक बात तो यह है कि उस तरफ नीचे मैदान के सारे जंगल साफ होने जा रहे हैं।"

"हां, हां, सो तो दिख रहा है। वहां सब हल बैल से खेती करने वाले लोग आ गए हैं। उनके गांव बस गए हैं।"

दरअसल, सरकार ने ही मैदान की ज़मीन नीलाम करवाई थी ताकि किसान, ज़मीदार आदि यहां आ कर ज़मीन ले, उसे अपने नाम दर्ज़ कराएं, उस पर खेती फैलाएं और सरकार को नियमित लगान दे। पर माण्डिया, टीकरा व उनके साथियों को नीलामी-वीलामी का कुछ पता नही था।

देगचा गांव के लोगों ने शहर और उसके आसपास क्या-क्या बदलाव देखे - सूची बनाओ।

गांव वालों के नाम ज़मीन दर्ज़ हुई

आखिर वो दिन भी आया जब एक गोरा साहब - हाफपैंट और टोप पहने, घोड़े पर चढ़ के - देगचा गांव आया। वह जंगल और खेत देखता रहा, प्रधान

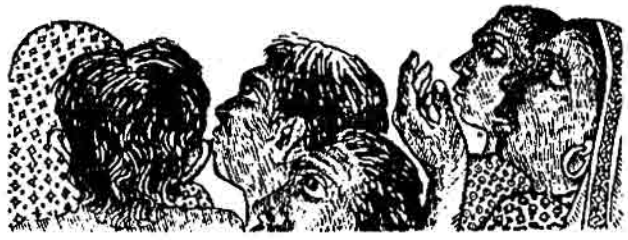

से पूछ-ताछ करता रहा। उसकी खातिरदारी मे पूरा गांव जुटा रहा। न जाने किस बात से नाराज़ हो जाए और क्या कर डाले - इस चिंता मे लोग मारे मारे फिरते रहे।

गोरा साहब तो उस दिन चला गया। कुछ दिनो बाद हिन्दुस्तानी अधिकारियों का एक दस्ता गांव पधारा। तहसीलदार साहब और रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब साथ मे थे। वे सब के खेतो को नाप नाप के अपने खाते मे लिखने लगे। माण्डिया के खेत पर पहुंच कर बोले, "तुम्हारा खेत कहां से कहां तक है?"

माण्डिया ने अपना खेत दिखा दिया। उसकी नप्ती कर के इंस्पेक्टर बोला, "ये दो बीघे तुम्हारे नाम से दर्ज़ कर रहा हूं। इसी पर खेती करना। और कही जंगल मत काटना। बाकी जंगल सरकार का है।"

माण्डिया मन ही मन सोचने लगा, "ये क्या कह रहे हैं? अगले साल हम किसी दूसरी पहाड़ी पर जंगल काट कर खेती करेंगे।" पर डर के मारे वह उन से कुछ पूछ नही पाया।

रेवेन्यू इंस्पेक्टर डुमका पहाड़ी पर बने खेत देगचा गांव वालों के नाम दर्ज़ कर के चला गया।

यह जंगल सरकार का है

अगले साल धनुका पहाड़ी पर खेती करने की बारी थी। गांव का प्रधान सब को लेकर वहां गया और खेत बांटे। ठक-ठक-ठक-ठक पेड़ काटने का काम शुरू हो गया।

कई दिन काम चलता रहा। फिर एक दिन अचानक, खाकी वर्दी पहने एक आदमी दौड़ते-दौड़ते पहाड़ी पर चढ़ता दिखा। यह था फॉरेस्ट गार्ड। चिल्ला के बोला, "ऐ रोको। यह क्या कर रहे हो? यह सरकार का जंगल है। यहां पेड़ काटना मना है। काटने वाले को जुर्माना भरना होगा।"

प्रधान उसके पास जा के बोला, "हुजूर। आप यह क्या कह रहे हैं? यह जंगल तो हमारा है। पुर्खों के समय से हम यहां खेती करते आए हैं।"

गार्ड बोला, "तुम लोगों की ज़मीन तो डुमका पहाड़ी पर दर्ज़ है। और यहां का जंगल सरकार ने ले लिया है। यह तुम्हारा नहीं है। चलो, चौकी पर और जुर्माना भरो। हरेक को बीस-बीस रुपए देने होंगे। चलो मेरे साथ।"

सब लोग सकपका गए। प्रधान ने जल्दी से सबको बुला कर कुछ बातें की। लोग अपने अपने घरों को दौड़े गए और तरह तरह की चीज़ें लेकर फॉरेस्ट गार्ड के सामने पेश किए। अंडे, मुर्गी, कद्दू, हल्दी। हाथ जोड़ कर बोले, "ये सब चीज़ें आप रख लीजिए साहब। हमें अपनी ज़मीन पर खेती कर लेने दीजिए। नहीं तो हम कहां जाएंगे, क्या खाएंगे?"

लोगों की मज़बूरी देख के फॉरेस्ट गार्ड का लालच बढ़ने लगा, "रख दो यह सब। पर देखो, मैं बहुत जोखिम का काम कर रहा हूं। तुम लोगों को सरकारी जंगल काटने दूंगा तो मेरी नौकरी का क्या होगा?"

प्रधान बोला, "आप हमारे सब कुछ हैं। आप जैसा कहें वैसा हम करेंगे। मगर हमें खेती करने दें।"

फॉरेस्ट गार्ड ने दाएं बाएं आंखें घुमाईं और प्रधान को एक तरफ ले जा के कहा, "सब लोग 5-5 रुपए दो। तब मैं तुम्हारे लिए यह खतरा उठाऊं। सोच लो। मैं परसों फिर आऊंगा।" इतना कह कर वह चला गया।

प्रधान ने सब को फॉरेस्ट गार्ड की बात बताई। काफी विचार हुआ। पर आखिर में लोगों ने जैसे तैसे पैसे इक्ट्ठे कर के गार्ड को दिए। जिनके पास पैसे नहीं थे, वे साहूकार से उधार ले कर आए। उनमें माण्डिया भी था।

धनुका पहाड़ी पर खेती करना देगचा गांव वालों को गलत क्यों नहीं लगा और फॉरेस्ट गार्ड को यह गलत क्यों लगा?
सरकार समझती थी कि जंगल पर उसका हक है।
देगचा गांव के लोग समझते थे कि जंगल पर उनका हक है।
दोनों में से किसका हक ज़्यादा पुराना था?

कर्ज़ा और बंधुआ मजदूरी

फॉरेस्ट गार्ड को भेंट और पैसे दे कर जंगल में खेती करते रहना एक नियमित बात हो गई थी। बात अखरती थी क्योंकि जिस चीज़ को अपना मानो उसके लिए दूसरे की खुशामद करते फिरना पड़ता था। और इसके लिए बार बार साहूकार से कर्ज़ा लेना पड़ रहा था।

टीकरा यही सब सोचता हुआ, गुस्सा होता हुआ, जंगल से लौट रहा था। उसके कंधे पर शिकार लदा था। सामने से फॉरेस्ट गार्ड आता दिखा। लपक के टीकरा के सामने आया और आंखें तरेर कर बोला,

और कर्ज़ा चाहिए तो बंधुआ मज़दूर बनना होगा

"जब देखो तब जंगल से चुपचाप शिकार मार कर लाते हो। मैं कुछ नही कहता। क्या, चौकी पर जा कर जुर्माना भरने का इरादा है?"

टीकरा समझ गया कि गार्ड साहब को भेंट चाहिए। पर आज न जाने उसका मन कैसा हो रहा था। तन के बोला, "आप कर लीजिए जो करना है। मैं और कुछ नही दे सकता। अब तो साहूकार भी कर्ज़ा नही देता है।"

गार्ड साहब के सामने अकड़ने का अंजाम बुरा ही होना था। सो हुआ। टीकरा को सिपाही पकड़ के ले गए और चौकी में बंद कर दिया।

माण्डिया बौखलाया हुआ साहूकार के पास पहुंचा, "सेठजी, थोड़ा कर्ज़ा और दे दीजिए। टीकरा को बंद कर दिया है। उसे छुड़ाना है।"

साहूकार रामचन्द बिसोई मन ही मन मुस्कराया। उसके मन में कई सपने तैर रहे थे। वह देख रहा था कि दिन फिर रहे हैं। ये लोग अब कहीं के नहीं रहेंगे। पहले न जाने कहां-कहां जंगलों में खेती करते फिरते थे। पर अब बात बात पर उससे कर्ज़ा लेने आते हैं। जंगल की ज़मीन भी इनके हाथ से निकल गई है।

साहूकार ने नीचे मैदान में ज़मीन खरीदी हुई थी। अच्छी ज़मीन थी। पर उस पे हल कौन चलाएगा यही समस्या थी। वह दूसरे किसानों से या मज़दूरों से ज़मीन जुतवा सकता था पर एक ज़्यादा अच्छा उपाय उसके दिमाग में घूम रहा था। मूंछों पर उंगली फेरते हुए बोला, "देखो भाई माण्डिया, तुम्हारा पुराना कर्ज़ा कितना है? चुकाते तो हो नहीं।"

माण्डिया गिड़गिड़ाया, "नहीं सेठजी, मना न करें।" साहूकार बोला, "तो सुनो। तुम दोनों भाईयों में से एक को मेरा बंधुआ मज़दूर बनना होगा।"

यह सुन कर माण्डिया दो कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। थोड़ा रुक के साहूकार बोला, "मेरे खेत पर काम करना होगा। मैं खाने को दूंगा। हर साल कर्ज़े का 2 रु. माफ कर दूंगा। हर साल रुपए में आठ आना ब्याज लगता रहेगा। जितने साल कर्ज़ा चुके, उतने साल मेरे यहां मज़दूरी करना। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो कहीं और जाओ।"

मंजूर नही होता तो और क्या करता माण्डिया? वह साहूकार का बंधुआ मज़दूर बना। तब टीकरा चौकी से छूटा।

देगचा गांव के लोग अंग्रेज़ों से पहले भी साहूकार से कर्ज़ा लेते थे। पर अंग्रेज़ो के समय में कर्ज़ा बहुत बढ़ने लगा - क्यों?
लोग कर्ज़ा क्यों नहीं चुका पा रहे थे?
बंधुआ मज़दूरी की शर्तें क्या थीं?
क्या तुम सोच सकते हो कि माण्डिया किसी प्रकार बंधुआ मज़दूरी से छुटकारा पा सकता था?

जमीन की नीलामी

गांव के सब लोगों के साथ टीकरा घाट के नीचे जा रहा है। इस साल घाट के नीचे की ज़मीन पर खेती करनी है। यह गांव की सबसे अच्छी ज़मीन है। ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नही है। यहां मिट्टी अच्छी है। उन्होने 22 साल पहले घाट नीचे खेती की थी। अब वहां अच्छा जंगल उग गया था।

टीकरा के कंधे पर कुल्हाड़ी है - पर मन बहुत उदास है। वह अकेला कितनी ज़मीन तोड़ पाएगा? अब माण्डिया न जाने कब वापस आएगा।

घाट नीचे पहुंच कर प्रधान ने खेत बांटे और लोगों ने पेड़ों की कटाई शुरू की। देखते देखते बारिश के दिन आए और खेत बो दिए गए। फसल खड़ी होने लगी।

कटाई का समय आया। लोग हंसिये लेकर गाते हुए खेतों पर पहुंचे और कटाई शुरू करने ही वाले थे कि पुलिस के कुछ सिपाहियो के साथ एक हट्टा-कट्टा आदमी आता दिखाई दिया। हंसिये थामे हुए हाथ जहां के तहां रुक गए। आशंका से भरी आंखों ने उस आदमी की तरफ देखा। वह मैदान के एक गांव का बहुत बड़ा किसान था। उसके पास कई जोड़े बैल थे और बहुत ज़मीन थी। लोगों ने उसे कभी कभी साहूकार के घर बैठे देखा था। उसकी साहूकार से बहुत दोस्ती थी।

वह आदमी पास आकर पुलिस के सिपाहियों से बोला, "ये देखो! मैं कहता था न। मेरी ज़मीन पर ये लोग खेती कर रहे हैं। मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। पकड़ लो इन्हें।"

लोगों की तरफ मुंह कर के वह आदमी चिल्लाया, "खड़े खड़े क्या ताक रहे हो? हंसिये पटको और थाने जाओ। इस ज़मीन को मैंने नीलामी में खरीदा है। यह ज़मीन मेरी है।"

पुलिस के सिपाही लोगों को पकड़ कर ले गए। एक बार फिर लोगों ने कर्ज़ा लिया और किसी तरह जुर्माना चुकाया।

फिर वे फॉरेस्ट गार्ड से जा कर मिले। बोले, "आप तो कहते थे जंगल में खेती कर लो। यह ज़मीन की नीलामी का मामला क्या है?"

गार्ड बोला, "अरे वो ज़मीन सरकारी जंगल में नही है। उसे सरकार ने खेती के लिए नीलाम कर दिया है। इसके बारे में मुझे नही मालूम। तहसीलदार से मिलो।"

लोग तहसीलदार से जा कर मिले। अब उनके गुस्से की सीमा नही रही थी। उत्तेजित स्वर में कहने लगे, "ये हमारे पुर्खों की ज़मीन है। हम वहां खेती करते आए हैं। आपने नीलाम कैसे कर दी?"

तहसीलदार कड़क के बोला, "कौन कहता है तुम्हारे पुर्खों की ज़मीन है? तुम्हारे नाम से डुमका पहाड़ी की ज़मीन दर्ज़ है। इतने सालों से यह घाट नीचे की ज़मीन खाली पड़ी थी। जंगल था। कोई उस पर खेती नहीं कर रहा था। हमने नीलाम कर दी ताकि वहां ठीक से खेती हो और हर साल लगान मिले। तुम लोग जैसे खेती करते हो वैसे अब नहीं चलेगा। यह बात तुम्हें समझ में क्यो नही आ रही?"

लोग चिल्लाए, "पर हमें तो बताया नहीं? कब नीलामी हो गई?"

तहसीलदार बोला, "तुम्हारे घर मैं बताने नहीं जाऊंगा। दफ्तर पर नीलामी का नोटिस लगा था। पर तुम लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता। इसका मैं क्या करूं? जाओ दफा हो जाओ यहां से।"

नीलामी से पहले घाट के नीचे की ज़मीन किसकी थी?
नीलामी के समय उस पर जंगल क्यों उगा था - खेती क्यों नहीं हो रही थी? -
सरकार यह ज़मीन नीलाम क्यों कर रही थी?

मज़दूरी का जीवन

घाटी नीचे की खड़ी फसल को दूसरा ले गया। इस साल पेट भरने को भी कुछ नहीं मिला। टीकरा साहूकार से अनाज उधार लेने पहुंचा। अब तो साहूकार की हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। बोला, "डुमका पर तुम्हारे नाम से जो ज़मीन है, उसे गिरवी रखूंगा। तभी उधार दूंगा। दो साल में उधारी नहीं चुकाई तो ज़मीन ले लूंगा। बोलो?"

बोलना क्या था? टीकरा ने "हां" कही और साहूकार ने एक कागज़ पर कुछ लिख कर दो आदमियों के सामने उसका अंगूठा लगवाया। टीकरा कोदो ले कर घर आया। थका हारा वह बैठा ही था कि उसकी पत्नी कजोदी दौड़ी आई, "सुनो. यहां से चले चलो। अब यहां नहीं रहेंगे।"

"कहां चलो? कैसी बातें करती है?" टीकरा ने कहा।

कजोदी ने उसे बताया कि एक ठेकेदार आया है। "वह वन विभाग के लिए जंगल में सड़क बना रहा है। कह रहा है मज़दूर चाहिए। हर महीने 2 रुपए देगा। चलो, हम दोनों सड़क पर काम करेंगे," कजोदी ने ज़ोर दिया। टीकरा कुछ देर सोचता रहा, "कजोदी ठीक कह रही है। यहां क्या रखा है? जंगल अपना नहीं रहा। ज़मीन नहीं रही। साहूकार की उधारी चुकती नहीं है। डुमका पहाड़ी की ज़मीन भी वो ले लेता है तो ले ले।"

अगले दिन गांव के कई और लोगों के साथ टीकरा और कजोदी सड़क पर मज़दूरी करने चल दिए। आगे भी उनका जीवन मज़दूरी करते ही बीता। जिन जंगलों में वे खेती करते थे, अब वे उन्हीं जंगलों को लकड़ी के ठेकेदारों के लिए काट देते हैं। जिन पेड़ों की राख पर वे बीज बोते थे उन पेड़ों को अब काट के रेल की पटरियां बनाने के लिए भेजते हैं।

अपना सब कुछ एक-एक कर के छिन जाने का गुस्सा उनके मन में भरा है। एक दिन वे शहर के

अगले दिन टीकरा और कजोदी मज़दूरी करने चल दिए

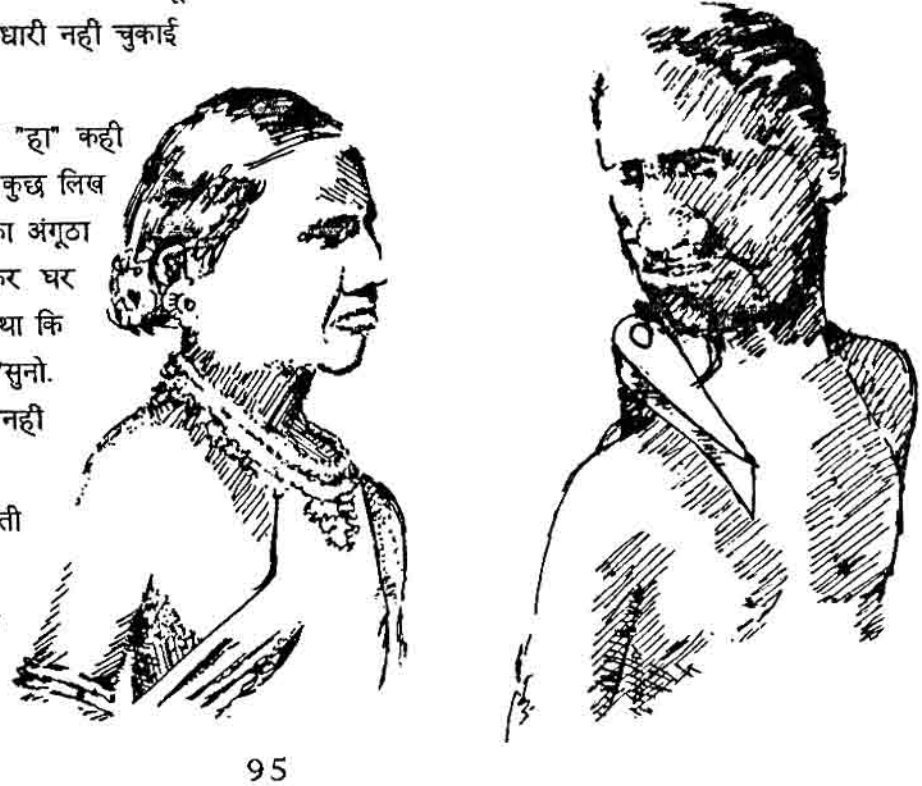

पास सड़क का काम कर रहे थे कि एक फकीर वहां से गुज़रा। वह गाता हुआ जा रहा था।

टीकरा को अपने बचपन की याद आई जब एक दिन हाट में ऐसे ही एक फकीर से उन्हें अंग्रेज़ों की सरकार बनने का पता चला था। पर आज यह फकीर

क्या कह रहा है? "आएगा, आएगा, वो दिन भी आएगा। ये सब भाग खड़े होंगे। सारे के सारे - ये अंग्रेज़, ये साहूकार, ये ज़मींदार। अरे, इन्हें सांथालों ने मार मार के भगा दिया था..... इन्हें मुण्डा भगा रहे हैं..... इन्हें....."

आदिवासियों के विद्रोह

जंगलों में रहने वाले आदिवासी किसानों की हालत इस तरह बहुत बिगड़ने लगी थी। मध्य प्रदेश में बैगा, मारिया, मुरिया, गोंड, भील, आंध्र के कोया, रेड्डी, कोलम, उड़ीसा के शबर आदिवासी, सभी अपने पुराने तरीके से खेती नहीं कर पा रहे थे। वे साहूकारों के हाथ फंसते गये। उन्हें या तो वन विभाग और ठेकेदारों का मज़दूर बनना पड़ रहा था या बाहर से आये किसानों और साहूकारों के खेतों में बंधुआ मज़दूर बनना पड़ रहा था।

जहां-जहां सड़कें और रेल लाईनें पहुंची वहां-वहां बाहर के लोगों का पहुंचना और ज़मीन हथियाना आसान हो गया।

नया वन विभाग जो बना, उसका दबाव भी बढ़ता गया। बात-बात पर जुर्माना, आदिवासियों को पीटना, गांवों में घुसकर जबरन लोगों का सामान उठा ले जाना, औरतों से छेड़-छाड़ करना, रिश्वत लेना, बेगार करवाना आम बातें होने लगी।

ऐसी कठिन परिस्थितियों के खिलाफ आदिवासियों ने बार बार जगह-जगह विद्रोह किये। विद्रोहों के दौरान वे बड़ी संख्या में पुलिस थाने, वन विभाग की चौकियां और साहूकारों के घर जला डालते। कई जगह पूरे जंगल में आग लगा देते। इस तरह विद्रोह 1856 में सांथालों ने बिहार में किया, 1880 और 1922 में आंध्र के कोया आदिवासियों ने किया, 1910 में बस्तर में मारिया और मुरिया आदिवासियों ने किया, 1940 में गोंड़ और कोलम लोगों ने किया।

कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह

सांथाल विद्रोह

अंग्रेज़ों के शासन की शुरूआत से बिहार के सांथाल लगातार विद्रोह करते रहे। 1855-56 में एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसमें सांथालों ने ज़मींदारों और साहूकारों को लूटना मारना शुरू कर दिया। सांथालों ने ऐलान किया कि अंग्रेज़ों का राज्य खत्म हो गया है और वे सांथालों का स्वतंत्र राज्य बना रहे हैं। पर तीर धनुष धारी सांथाल अंग्रेज़ों की फौज का मुकाबला

एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोही - बिरसा मुण्डा

अन्याय नही सहेंगे

नही कर पाये। उस भीषण युद्ध में पंद्रह हज़ार सांथाल मारे गये।

सीता राम राजू और कोया आदिवासी

सड़क बनाने के काम में वन विभाग आदिवासियों से बेगार करवाता था। इस के विरोध में आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासियों ने विद्रोह किया। उन्होंने एक सेना बनाई और दो वर्ष तक लड़ते रहे। उनके नेता अल्लूरि सीता राम राजू थे। अन्त में सीता राम राजू को गिरफ्तार करके मारा गया।

कुमाऊं में वन विद्रोह (1921-22)

उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र के किसानों ने जंगल पर से अपना अधिकार छिनने के बदले में वन विभाग का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुल कर वन विभाग के नियम तोड़े। जिन जंगलों में ठेकेदार लकड़ी काटते थे उन्हें जलाने की कोशिश हुई। लोगों ने वन विभाग के लिए बेगार करने से इनकार किया।

इन आंदोलनों के कारण अंग्रेज़ सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी। जगह जगह उन्होंने अपने नियम कानून में ढील दी। कुछ क्षेत्रों में यह भी कानून बनाया कि बाहर के लोग आदिवासियों की ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं।

स्वतंत्रता के बाद वनों पर अधिकार

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने वन आरक्षित करने और लोगों द्वारा वन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की नीति को जारी रखी है। तुमने समझा है कि यह नीति उद्योगों के लिए वनों के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। पर गांव के लोगों को वनों के इस्तेमाल में इस नीति से बहुत परेशानियां होती हैं।

तुम्हारे यहां लोगों को लकड़ी कहां से व कैसे मिलती है?
आजकल लोगों को जंगल की चीज़ें प्राप्त करने में क्या सुविधाएं व कठिनाइयां हैं?

जंगल खत्म कैसे होते है?

वनो का इस्तेमाल लोगो की रोज़मर्रा की ज़रूरतो के लिए भी हो और उद्योगो के लिए भी हो - इन दो अलग-अलग ज़रूरतो का मेल या समाधान नही हो पाया है।

स्वतंत्रता के बाद बड़ी तेज़ी से उद्योग लगे हैं और कागज़, खेल का सामान, पैकिंग आदि के कारखानो मे लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होने लगा है। वन बहुत तेज़ी से कट रहे हैं। इससे हमारे पर्यावरण के लिए कई मुश्किल समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं।

० ० ०

अभ्यास के प्रश्न

1. क) गांव के लोग जिस तरह जंगल का उपयोग करते थे उससे जंगलो के पूरी तरह नष्ट होने का ख़तरा क्यो नही था?
   ख) यह ख़तरा कब और क्यो पैदा होने लगा?
2. वन विभाग जंगल की क्या व्यवस्थाएं करने के लिए बनाया गया?
3. वन विभाग और गांव वालो की टक्कर किन कारणो से होती थी?
4. जंगल जला के खेती किस तरह की जाती थी - 10 वाक्यो मे इसकी मुख्य बाते समझाओ।
5. जंगल जला कर खेती करने वाले गांवो के चारो तरफ जंगल पूरी तरह खत्म क्यो नही हो जाता?
6. क) अंग्रेज़ शासन से पहले आदिवासी किसान साहूकारो से कर्ज़ा क्यो लेते थे? साहूकार कर्ज़ा कैसे वसूल करता था?
   ख) अंग्रेज़ शासन मे आदिवासी किसान साहूकारो से कर्ज़ा और किन कारणो से लेने लगे? अब साहूकार कर्ज़ा किस प्रकार वसूल करने लगा?
   ग) साहूकार के तरीको मे यह फर्क क्यो आने लगा?
7. अंग्रेज़ सरकार खेती क्यो फैलाना चाहती थी और इसके लिए उसने क्या कदम उठाए?
8. क) आदिवासी लोग किस किस तरह मज़दूरी कर के अपना जीवन बिताने लगे?
   ख) वन विभाग द्वारा करवाए जाने वाले बेगार के खिलाफ कहां कहां विद्रोह हुए?
9. क) आदिवासी लोगो ने किन किन के खिलाफ विद्रोह किए? वे अपना विद्रोह और गुस्सा किस तरह प्रकट करते थे - कुछ उदाहरण बताओ?
   ख) आदिवासियो के विद्रोह किस तरह दबाए जा सके?